न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट ऋषिकेश, जिला देहरादून
सी0जी0 सं0–97/2026
राज्य बनाम राहुल शर्मा आदि

मुकदमा अपराध संख्या–34/2026
धारा–303(2), 317(2) बी0एन0एस, 2023
थाना–रानीपोखरी, जिला देहरादून।

निस्तारण प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र

अभियोजन की ओर से– विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी, हिमानी।
अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता– श्री शारिक शिराज खान (डी0एल0एस0ए)

दिनांक 22–06–2026

प्रार्थी/अभियुक्त **राहुल शर्मा** के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र के कथन है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज है। अभियुक्त को मात्र संदेह के आधार पर झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त निर्दोष है, अभियुक्त से गलत बरामदगी दिखायी गयी है। अभियुक्त दिनांक 30.05.2026 से जेल में निरूद्ध है। अभियुक्त के विरूद्व लगाये गये आरोप मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। अतः अभियुक्त द्वारा दौराने वाद जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है। अतः अभियुक्त द्वारा जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

2. उक्त प्रार्थना पत्र पर अभियोजन से आख्या तलब की गयी। अभियोजन की आख्यानुसार अभियुक्त के कब्जे से वादी मुकदमा की मोटरसाईकिल सं0 UK16G 5246 बरामद हुई। उक्त मुकदमा में साक्ष्य संकलन की कार्यवाही प्रचलित है। अभियुक्त मूल रूप से नेपाल का निवासी है तथा जमानत प्राप्त कर फरार हो सकता है। अतः जमानत का घ ोर विरोध किया गया है।

3– सुना एवं अभियोजन प्रपत्रों का परिशीलन किया।

4– पत्रावली के परिशीलन से विदित है कि अभियुक्त द्वारा दिनांक 25.05.2026 को वादी मुकदमा की मोटरसाईकिल सं0 UK16G 5246 चोरी की गयी जो दिनांक 30.05.2026 अभियुक्त के पास से बरामद किया गया है।

5– पत्रावली के परिशीलन से यह भी विदित है कि अभियुक्त पर अधिरोपित अपराध का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं बनाया गया है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त द्वारा साक्ष्यों को प्रभावित किये जाने की कोई सम्भावना प्रतीत नहीं होती है। अभियुक्त पर आरोपित अपराध 7 वर्ष तक की सजा तक वाली श्रेणी का है। हस्तगत प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अभियुक्त दिनांक 30.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है।

7– अतः उपरोक्त विश्लेषण के अवलोकन से मामले के गुण–दोष पर कोई अन्तिम राय व्यक्त किये बिना जमानत पर रिहा किये जाने के पर्याप्त आधार विद्यमान है।

आदेश

अभियुक्त **राहुल शर्मा** को मुकदमा अपराध संख्या–34/2026 अन्तर्गत धारा 303(2), 317(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 में अभियुक्त को मु0–30,000/–रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर रिहा किया जाता है।

(तान्या मिड्ढा)
प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट
ऋषिकेश।